(9)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 177/2010 दायर दिनांक–30–06–2010

1/1 सुवा देवी पुत्री बालूराम पत्नी धन्नाराम जाति मीणा हाल निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर।

1/2 शांती देवी पुत्री सोहन लाल जाति मीणा हाल निवासी मढ़ा सुरेरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।

1/3 बरजी देवी पुत्री बालूराम पत्नी फूलचन्द जाति मीणा हाल निवासी मढ़ा सुरेरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।

1/4 बीरबलराम पुत्र बालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/5 संतोष देवी पुत्री बालूराम पत्नी मालीराम जाति मीणा हाल निवासी वैष्णव बस्ती वार्ड नम्बर 39 पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

1/6 बिमला पुत्री बालूराम पत्नी बनवारी लाल जाति मीणा निवासी करणसर वाया रेनवाल तहसील जयपुर।

1/7/1 जयप्रकाश पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/7/2 जयदेव पुत्र रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/7/3 मनीषा पुत्री रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/7/4 दीपशिखा पुत्री रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/7/5 हर्षित पुत्री रामलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/8 सरबती पुत्री बालूराम पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी करणसर वाया रेनवाल जिला जयपुर।

1/9 हरिनारायण पुत्र बालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (फौत)

1/1/9 मनोज देवी पत्नी हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

2/1/9 गुंजन पुत्री हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

3/1/9 अनुष्का पुत्री हरिनारायण

4/1/9 उपलक्ष पुत्र हरिनारायण

5/1/9 शीतल पुत्री हरिनारायण

नाबालिक जरिये वली कुदरती माता स्वयं मनोज देवी पत्नी स्व0 हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

2. मुरारीलाल पुत्र बालूराम जाति मीण निवासी ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1/1 कृष्ण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/2 लक्ष्मीनारायण पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/3 संदीप कुमार पुत्र शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/4 मुन्नीदेवी पत्नी स्व. शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/5 मंजू देवी पुत्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

1/6 संजू देवी पुत्री शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

2. भानूकुमार पुत्र श्योपाल

3. लीलाधर पुत्र श्योलाल

4. छोटूराम पुत्र श्योलाल

5. संतरा देवी पत्नी श्योलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

समस्तगण जाति मीणा निवासीगण ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

6. उप पंजियक, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. तहसीलदार नवलगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य

वकील प्रति॰ नं॰ :– श्री अशोक कुमार जागिड़

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16–02–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। श्री रूडाराम के दो पुत्र बालूराम वादी नम्बर 1 एंव झूंथाराम हुए जिनमें से झूंथाराम फौत हो चुका है। श्री झूंथाराम के दो पुत्र क्रमशः श्योलाल उर्फ सयोपाल एवं महावीर हुये जिनमें से श्योलाल भी फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 स्वर्गीय श्योलाल के वारिसान है।

भूमि खसरा नम्बर पुराने 698 रकबा 6 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित है जिसके गत भू–प्रबन्ध के पहले रिकार्डेड खातेदार वादी नम्बर 1, हिस्सा 1 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता है जिनमें से श्योलाल का स्वर्गवास होने पर उनके स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 है।

उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 698 के गत भू–प्रबन्ध में एवं इसके बाद बने नये खसरा नम्बर, निम्न चित्रण अनुसार कायम किये गये है।

पुराने ख॰न॰ गत भू–प्रबन्ध के पहले के	सन् 1985 में कायम खसरा नम्बर एवं रकबा	सम्वत् 2046 से सम्वत् 2049 में परिवर्तित ख॰न॰	सम्वत् 2054 से सम्वत् 2057 में पुनः परिवर्तित खसरा नम्बर जो मौजूदा में भी है।
698 रकबा 6 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता	2840/1772 रकबा 0.35 हैक्टर	1536 रकबा 0.35 हेक्टर	1383 रकबा 0.35 हैक्टर (वादग्रस्त भूमि)
	1786 रकबा 0.56 हैक्टर	1552 रकबा 0.56 हैक्टर	1399 रकबा 0.56 हैक्टर
	1787 रकबा 0.63 हैक्टर	1553 रकबा 0.63 हैक्टर	1400 रकबा 0.63 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

इस वाद में भूमि खसरा नम्बर पुराने 698 से आंशिक [illegible] खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हेक्टर का ही विवाद है बाकी खसरा नम्बर की भूमि का कोई विवाद नहीं [illegible]

उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर नये 1383 के सटकर [illegible] दिशा में वादी नम्बर 1 की स्वयं की खातेदारी की दूसरी भूमि खसरा नम्बर मौजूदा नया 1384 [illegible] जिसमें खसरा नम्बर 1384 में वादी नम्बर 1 की पुरानी ढाणी/बाडा बना हुआ है जिसमें एक पक्की खुडी वा[illegible]ण की बनी हुयी है जिसमें आवश्यकता होने पर अपने खेत की काश्त एवं फसल की सुरक्षा के लिये वादी नम्बर 1 एवं उनके बच्चे रहते आ रहे है। वादी नम्बर 1 के 4 पुत्र है जो बिरबलराम, मुरारीलाल, रामलाल एवं हरिनारायण है वादी नम्बर 1 की उम्र 91 वर्ष हो

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

चुकी है तथा वे बीमार भी रहने लग गये है एवं चलने फिरने में भी असमर्थ है इस कारण इस वाद पत्र में उनके सहयोग के लिए वादी नम्बर 2 को फरीक बनाया गया है।

इस भूमि खसरा नम्बर पुराने 698 का आपसी बंटवारा वादी नम्बर 1 एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पूर्वज श्री श्योलाल उर्फ श्योपाल पुत्र श्री झूंथाराम ने सन 1980 से भी पहले कर लिया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर पुराने 698 की भूमि में पश्चिम की तरफ की उत्तर– दक्षिण, चौड़ाई में 1 बिघा 6 बिश्वा पुख्ता जमीन, जिसमें मौजुदा में नये खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हैक्टर वादीनम्बर 1 के हिस्से में आई एवं इस खसरा नम्बर में शेष रही पूर्वी तरफ की तमाम भूमि 4 बीघा 16 बिश्वा, जिसके मौजुदा में खसरा नम्बर 1399 एवं 1400 है। भाई बंटवारे में श्योलाल पुत्र श्री झूंथाराम के हिस्से मे आई। वादी नम्बर 1 उक्त बंटवारो में आई अपने हिस्से की भूमि रकबा 1 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता को उसके संटाकर पश्चिम में स्थित अपनी दूसरी जमीनों (जिसके मौजूदा खसरा नम्बर 1384 एवं 1385 है) में मिला ली तथा अपनी सम्पूर्ण जमीन को एक साथ कर एक खेत बनाकर उसके चारो तरफ खाई बाड़ कर ली तथा बाड़ में सुरक्षा के लिये खैरी के पेड़ लगा लिये जो अब भी मौजूदा में मौके पर बड़े–बड़े खड़े। इस प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर नये 1383 पर कब्जाकाश्त वादी नम्बर 1 व उनके बच्चो का है मौके पर कब्जे काश्त का कोई विवाद भी नही है, लेकिन विवाद इस विवादित भूमि का रिकार्ड प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के नाम गलत दर्ज होने के कारण पैदा हुआ है जो गलत रिकार्ड गत भू–प्रबन्ध में बना है खसरा नम्बर 1399 पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का है तथा खसरा नम्बर 1400 पर कब्जा काश्त महावीर के परिवार का है जिसमें महावीर ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है एवं व इनमें रहता है। भू–प्रबन्ध विभाग को बिना वादी नम्बर 1 की अनुमति के रिकार्ड में तब्दीली करने का कोई अधिकार नही है इस कारण उनके द्वारा विवादित जमीन का खाता प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के नाम बनाने की तमाम कार्यवाही कानूनन शून्य है जिसका कानून में कोई महत्व भी नही है।

विवादित भूमि खसरा नम्बर 1383 स्थित सरहद में ग्राम खिरोड़ को गत भू–प्रबन्ध के दौरान बने गलत रिकार्ड की आड में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 उस पर नाजायज मन चलाकर उसे प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 उस पर नाजायज मन चलाकर उसे प्रतिवादी नम्बर 9 सीमेन्ट फैक्ट्री वालो को ट्रांसफर करना चाहते है ग्राम खिरोड में काफी जमीन इस फैक्ट्री वालो को ट्रांसफर की जा चुकी है इसी लालच में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 आ गये। गांव में लोगो के मार्फत सुनने पर कि विवादित जमीन का रिकार्ड गलत बना है तथा उसका नाजायज फायदा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 उठाना चाहते है व जमीन को फैक्ट्री वालो को बेचना चाहते है तो वादीगण ने रिकार्ड की नकले ली जो उन्हे दिनांक 21 व 22.06.2010 को मिली जिस पर गलत रिकार्ड की जानकारी सर्वप्रथम वादीगण को दिनांक 21.6.2010 को हुई। इसके पहले वादीगण विश्वास में रहे कि जमीन पर कब्जा काश्त उन्ही का है तो उसके कागज भी सही ही होगे। गलत रिकार्ड की जानकारी होने पर वादी नम्बर 2 प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 से मिला व रिकार्ड ठीक करवाने के लिए कहा व जमीन ट्रांसफर नही करने के लिए कहा तो उन्होने वादीगण की बात नही मानी व कहा कि जमीन हमारे नाम से है हम हमारी मर्जी आये वह करेगे व मौका मिलते ही जमीन को सीमेन्ट फैक्ट्री वालो को ट्रांसफर करेगे व उसकी रजिस्ट्री बनायेगे जिस कारण अविलम्ब वादीगण ने अपने अधिकारो की रक्षार्थ यह दावा माननीय न्यायालय में संस्थापित किया है। अगर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 अपनी इस नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादीगण को अपूरणीय नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में पूर्ण होना संभव नही होगी।

प्रतिवादी नम्बर 6 को पक्षकार बनाने के कारण कानूनी आवश्कता की पूर्ति हेतु प्रतिवादी नम्बर 8 को फरीक बनाया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 6 का लोकर सेवक होने के कारण व दावा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण अन्तर्गत धारा 80(2) सीपीसी में अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से दावा पेश करने की इजाजत लेकर यह दावा पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

दावा वास्ते घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड का होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 7 को फरीक बनाया गया है। दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने के कारण तादादी फीस 3/– रूपये न्यायालय में अन्दर मियाद पेश किया हैं।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश कर इस्तदुआ है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा इस आशय की फरमाई जावें कि वादी नम्बर 1 भूमि खसरा नम्बर 383 स्थित सरहद में ग्राम खिरोड का अकेला खातेदार काश्तकार है एव तदनुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करने के लिए प्रतिवादी नम्बर 7 को आदेशित किया जावे तथा इस खसरा नम्बर से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का नाम हटाया जावे।

(ख) प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे भूमि खसरा नम्बर 1383 स्थित सरहद में ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ को प्रतिवादी नम्बर 9 या अन्य किसी को ट्रांसफर नही करे तथा इस बाबत किसी भी प्रकार की ट्रांसफर डीड निष्पादित नही करे तथा ना ही ऐसी डीड का पंजीयन प्रतिवादी नम्बर 6 के कार्यालय में या अन्य किसी पंजीयन कार्यालय में ही करवाये तथा प्रतिवादी नम्बर 6 को भी पाबन्द किया जावे कि अगर उनके पास प्रतिवादीगण नम्बर लगायत 5 उक्त भूमि को ट्रांसफर करने सम्बन्धी किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उसे बिना वादी नम्बर 1 की सहमति के रजिस्टर्ड नही करे उक्त कार्य ना तो स्वयं करेव ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारी से ही करवावे।

(ग) अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तो जो वादीगण क हक में पड़ती हो वह भी वादीगण को दिलवाई जावे।

(घ) यह है कि वादीगण को खर्चा व हर्जा मुकदमा दिलवाया जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री शिव कुमार बंका ने अपना वकालतनामा पेश किया। बार–बार अवसर जवाब दावा पेश नही किया गया। तद्पश्चात प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जागिड़ उपस्थित न्यायालय हो अपना वकालतनामा पेश किया। इनको भी बार–बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब दावा पेश नही किया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 को दिनांक 03.08.2017 को बार–बार रूक–रूक की आवाज लगावाने के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 01 का फौत होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी दिनांक 04.01.2011 को पेश न्यायालय किया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 23 सीपीसी पर वकील उभय पक्ष को सुना गया। वकील वादी ने कथन किया कि वादी बालूराम के एक मात्र वारिस रामलाल है जिनका भी फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 का भी स्वर्गवास होना बताया। प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी दिनांक 28.07.2017 को पेश है। उक्त तीनो प्रार्थना पत्रों पर वकील वादी को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र में वकील वादी ने प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराया। तीनो प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से दिनांक 03.08.2017 को स्वीकार किया गया तथा तीनो वादी–प्रतिवादी के वारिसो को पक्षकार संयोजित किया गया। तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जो सम्यक तामील के बावजूद इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रकरण में सभी प्रतिवादीगणों की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही होने पर पर जवाब दावा अपेक्षित नही होने से प्रकरण में तनकीयात कायम की करने की आवश्यकता नहीं है।

शहादत वादी में दिनांक 08.02.2022 को वादी नम्बर 2 रामलाल पुत्र श्री बालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खिरोड तथा गवाहान् मनोज देवी पत्नी हरिनारायण मीणा निवासी खिरोड, संतोष देवी पुत्री बालूराम पत्नी श्री मालीराम मीणा निवासी खिरोड़ तथा बीरबलराम पुत्र बालूराम जाति मीणा निवासी खिरोड उपस्थित न्यायालय हाजा हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

प्रदर्श पी–1 ग्राम खिरोड की जमाबंदी सम्वत् 2026–2030, प्रदर्श पी–2 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श पी–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2046–2049, प्रदर्श पी–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2054 से 2057, प्रदर्श पी–5 ग्राम खिरोड की जमाबंदी सम्वत् 2063–2066, प्रदर्श पी–6 ग्राम खिरोड की जमाबंदी, प्रदर्श पी–7 ग्राम खिरोड़ की जमाबंदी आधार वर्ष 2043 आदेश प्रदर्शित कराये गये।

शहातद पेश होने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 698 रकबा 6 बीघा 2 बिश्वा पुख्ता ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित है जिसके गत भू–प्रबन्ध के पहले रिकार्डेड खातेदार वादी नम्बर 1, हिस्सा 1 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता है जिनमें से श्योलाल का स्वर्गवास होने पर उनके स्थान पर उनके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 है। भूमि खसरा नम्बर पुराने 698 का आपसी बंटवारा वादी नम्बर 1 एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पूर्वज श्री श्योलाल उर्फ श्योपाल पुत्र श्री झूंथाराम ने सन 1980 से भी पहले कर लिया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर पुराने 698 की भूमि में पश्चिम की तरफ की उत्तर–दक्षिण, चौड़ाई में 1 बिघा 6 बिश्वा पुख्ता जमीन, जिसमें मौजुदा में नये खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हैक्टर वादीनम्बर 1 के हिस्से में आई एवं इस खसरा नम्बर में शेष रही पूर्वी तरफ की तमाम भूमि 4 बीघा 16 बिश्वा, जिसके मौजुदा में खसरा नम्बर 1399 एवं 1400 है। भाई बंटवारे में श्योलाल पुत्र श्री झूंथाराम के हिस्से मे आई। वादी नम्बर 1 उक्त बंटवारो में आई अपने हिस्से की भूमि रकबा 1 बीघा 6 बिश्वा पुख्ता को उसके संटाकर पश्चिम में स्थित अपनी दूसरी जमीनों (जिसके मौजूदा खसरा नम्बर 1384 एवं 1385 है) में मिला ली तथा अपनी सम्पूर्ण जमीन को एक साथ कर एक खेत बनाकर उसके चारो तरफ खाई बाड़ कर ली तथा बाड़ में सुरक्षा के लिये खैरी के पेड़ लगा लिये जो अब भी मौजूदा में मौके पर बड़े–बड़े खड़े। इस प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर नये 1383 पर कब्जा काश्त वादी नम्बर 1 व उनके बच्चो का है मौके पर कब्जे काश्त का कोई विवाद भी नही है, लेकिन विवाद इस विवादित भूमि का रिकार्ड प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के नाम गलत दर्ज होने के कारण पैदा हुआ है जो गलत रिकार्ड गत भू–प्रबन्ध में बना है खसरा नम्बर 1399 पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का है तथा खसरा नम्बर 1400 पर कब्जा काश्त महावीर के परिवार का है जिसमें महावीर ने अपने पुख्ता मकानात बना रखे है एवं व इनमें रहता है। भू–प्रबन्ध विभाग को बिना वादी नम्बर 1 की अनुमति के रिकार्ड में तब्दीली करने का कोई अधिकार नही है इस कारण उनके द्वारा विवादित जमीन का खाता प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के नाम बनाने की तमाम कार्यवाही कानूनन शून्य है जिसका कानून में कोई महत्व भी नही है।

बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तोवजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श पी.–1 में ग्राम खिरोड़ की जमाबंदी सम्वत् 2026–2030 खसरा नम्बर 698 रकबा 6 बीघा 2 बिश्वा बालूराम पुत्र रूड़ाराम हिस्सा 1 बीघा 6 बिश्वा व श्योपाल पुत्र झूंथाराम का हिस्सा 4 बीघा 16 बिश्वा संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसके पश्चात द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त विवादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर बदले जाकर नये खसरा नम्बर 1786, 1787, 2840/1772 रकबा क्रमशः 0.56, 0.63, 0.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 हैक्टर बना दिये गये जो प्रदर्श पी–2 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 से प्रमाणित है। इसके पश्चात् पुनः नये नम्बर 1552, 1553, 1536 रकबा क्रमशः 0.56, 0.63, 0.35 हैक्टर डाल दिये गये जो कि मिलान क्षैत्रफल वर्ष सम्वत् 2046–2049 प्रदर्श पी–3 से प्रमाणित है। इसके पश्चात पुनः नम्बर बदले जाकर नये खसरा नम्बर 1399, 1400, 1383 रकबा क्रमशः 0.56, 0.63, 0.35 हैक्टर बनाये गये जो नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2054–2057 जो [illegible]–4 से प्रमाणित होता है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 है[illegible] है। द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के पश्चात् बनी जमाबंदी आधार वर्ष 2043 प्रदर्श पी–7 [illegible] खसरा नम्बर 1786, 1787, 2840/1792 में वादी को वंचित कर अकेले श्योलाल पुत्र झूंथाराम के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई जो प्रदर्श पी.–7 से प्रमाणित है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खातेदारी में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। इसलिए जमाबंदी आधार वर्ष 2043 गलत बनना सिद्ध होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित होता है कि वादी बालूराम विवादित भूमि के 1 बीधा 6 बिश्वा पुख्ता का खातेदार रहा है तथा वर्तमान में भी विवादित भूमि खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हैक्टर पर वादी का ही कब्जा काश्त है। इसलिए पुराने राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादी बालूराम को हाल खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। दौराने दावा प्रतिवादी नम्बर 01 को स्वर्गवास होने पर वादी नम्बर 1 के वारिसान जो वाद–पत्र में वादी 1/1 लगायत 1/6 व रामलाल भी फौत होने पर इनके वारिस 1/7/1 से 1/7/5 , 1/8 तथा वादी 9 हरिनारायण भी फौत हो चुका जिसके वारिसान 1/1/9 से 5/1/9 रिकॉर्ड पर है। वादी नम्बर 1 का फौत होने पर इनके स्थान पर वारिसान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है। अतः विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हैक्टर में वादी संख्या 1/1 से 1/6, 1/8, 2 प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 1/7/1 से 1/7/5 प्रत्येक को हिस्सा 1/50–1/50 तथा वादी संख्या 1/1/9 से 5/1/9 प्रत्येक को हिस्सा 1/50–1/50 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नानुसर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 16.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कवंर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ़

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद डिक्री

मुकदमा सं0:– 117/2010 (बालूराम आदि बनाम शंकरलाल आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.02.2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1383 रकबा 0.35 हैक्टर में वादी संख्या 1/1 से 1/6, 1/8, 2 प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार वादी संख्या 1/7/1 से 1/7/5 प्रत्येक को हिस्सा 1/50–1/50 तथा वादी संख्या 1/1/9 से 5/1/9 प्रत्येक को हिस्सा 1/50–1/50 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ़ को इस आशय की तहरीर जारी हो कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.02.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested